

कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।

ज्ञापांक-1-3/2016-

परि०, दिनांक-

सूचना

निम्नांकित तालिका में अंकित वाहन स्वामियों द्वारा स्टेज कैरेज परमिट हेतु दाखिल आवेदन से संबंधित वाहन के परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहन पर निम्नांकित जानकारी का अंकन व कागजातों का संधारण करना आवश्यक है-

1. स्टेजवार दूरी एवं सरकार द्वारा निर्धारित भाड़ा तालिका एवं सम्पूर्ण समय-सारणी का वाहन पर अंकन (दरवाजे के पास बाहर की तरफ)।
2. 15 कि०ग्रा० भार तक का सामान प्रति यात्री निःशुल्क ढाये जाने संबंधी जानकारी का वाहन के भीतर एवं बाहरी भाग पर बरे अक्षरों में साफ-साफ अंकित करना।
3. दाखिल आवेदन/परमिट के अनुसार मार्ग का नाम भाया सहित वाहन के आगे (विन्ड स्क्रीन के उपरी भाग में) एवं पीछे वाहन के रंग से विषम चमकीले रंग से अंकित करना।
4. परमिट संख्या एवं वैद्यता की तिथि (आगे व पीछे भी) तथा निर्गत प्राधिकार का नाम।
5. प्रथम चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) का संधारण।
6. महिलाएँ एवं दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी का अंकन।
7. वाहन में शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है का अंकन एवं संधारण।
8. वाहन चालक एवं कन्डक्टर का नाम (चालक सीट के दाहिने वाहन के बाहरी एवं वाहन के अंदर शिकायत पुस्तिका अंकन वाले स्थान के पास)।
9. परमिट के मार्ग में पड़ने वाले संबंधित थाना का नाम (मोबाईल नंबर सहित) वाहन के पीछे (बाहरी भाग) वाहन के रंग से अलग चमकीले रंग से अंकित कराना।

क्रम सं०	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	आवेदन की तिथि	मार्ग
1	2	3	4	4
1	श्री आलोक रंजन झा	BR05PA-4751	08.08.2016	समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर
2	श्रीमती अनुपम कुमारी	BR06PC-9939	08.08.2016	समसा से समस्तीपुर
3	श्रीमती विनीता देवी	BR06PC-7375	08.08.2016	निर्मली से पटना
4	तजुद्दीन	NEW BUS	08.08.2016	जदिया से दरभंगा
5	मुजफ्फर इमाम	BR06P-8070	08.08.2016	पूसा से समस्तीपुर
6	श्री कैलाश राय	BR09R-6151	08.08.2016	विधान से मीठापुर बस पड़ाव पटना
7	श्री मनीभुषण कुमार	BR32B-5105	08.08.2016	पटना से मधुबनी

अतः उपरोक्त तालिका से संबंधित वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि सूचना निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित विवरण को वाहन में अंकित कराते हुए साक्ष्य के तौर पर कम से कम 8 (आठ) स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ एवं वाहन का सभी अद्यतन मान्य कागजात कार्यालय में जमा करें। ताकि वाहन का भौतिक निरीक्षणोपरांत स्वीकृत परमिट के निर्गमन पर विचार किया जा सके।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।

ज्ञापांक-1-3-/2016- 1777 /परि० दिनांक- 28/12/2016

प्रतिलिपि- आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, दरभंगा से अनुरोध है कि एन०आई०सी०, दरभंगा के वेबसाईट पर आर०टी०ए० (Regional Transport Authority) लिंक पर अपलोड करने का कष्ट करें। उक्त सूचना की Soft Copy में संलग्न है।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।